सेवा में,

प्रबन्धक,

एम० ए० एस० पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,

लछोई, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद,

बुलन्दशहर

पत्रांक सं० बि०-स०/ 825-31 /98-99 दिनांक 30-4-98

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक - - 25-4-98 - - मे लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 644/15-6-97-18 एस§7§89 शिक्षा §6§ अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1977 मे किये गये प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल § कक्षा 6 से 8 तक § स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नही करा ली जाती।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को पेमेन्ट [illegible] ऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।

3- विद्यालय मे छात्रो के चरित्र निर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की सम्पुष्टि के लिये जारी विभिन्न शासनादेशो का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाये।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयो [illegible] लेखा उचित रूप मे रखा जायेगा। [illegible] शुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप मे कोई भी [illegible] लिया जाना वर्जित होगा।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान [illegible] शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहे होंगे।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और न [illegible] न समाप्त किया जायेगा।

कृ० प० उ०

Manager
M. A. S. Public School
Lachhoi (Bulandshahr)

Principal
M. A. S. Public School
Lachhoi (Bulandshahr)

8- विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9-विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चो का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

10-विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11-विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

12-विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13-विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओ पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15-विभागीय आदेशो/नियमो की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

16-जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षो का निर्माण कराये ।

भवदीय,

29/4/98

{सहायक शिक्षा निदेशक {बे.}
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ0 सं. शि.स./ / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-अपर शिक्षा निदेशक {बेसिक} उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद
3-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - बुलन्दशहर
4-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - - - - -
5-शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र - - - - - - बुलन्दशहर
6-क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - -
7- समाज कल्याण अधिकारी - - - - - - - - - बुलन्दशहर

Manager
M. A. S. Public School
Lachhoi (Bulandshahr)

सहायक शिक्षा निदेशक {बेसिक}
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

Principal
M. A. S. Public School
Lachhoi (Bulandshahr)